उपडाकघर और राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसियों की योजना गतिविधियों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में हुई इसी प्रकार की गतिविधियां शामिल है । दूसरे शब्दों में डाक सेक्टर योजना की संकल्पना को बढ़ाया जाना है ताकि समग्र राष्ट्रीय योजना के लिए जरूरी डाक अवसंरचना शामिल की जा सके ।

(2) प्रस्तावित उप डाकघर में न्यूनतम प्रत्याशित कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए ।

(3) जबकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिए वित्त की स्वयं व्यवस्था करें, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 2400/- रु0 का घाटा अनुमत्य है (पहाड़ी/पिछड़े/जन-जातीय क्षेत्रों में 4800/- रु0 का घाटा अनुमत्य है ।)

III. **विभागीय उप डाकघर (गैर-योजना)**

शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों पर डाकघर खोले जाते हैं :—

(1) आरंभ में डाकघर को अपनी वित्त व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, लेकिन प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे पांच प्रतिशत का लाभ दिखाना चाहिए ताकि उसे आगे के लिए भी बरकरार रखा जा सके ।

(2) दो डाकघरों के बीच 20 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम दूरी अब 1.5 कि0 मी0 तक बढ़ाई गई है और अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि०मी० तक बढ़ाई गई है ।

(3) शहरी क्षेत्रों में भविष्य में कोई अतिरिक्त विभागीय डाकघर नहीं खोला जाएगा ।

भारतीय हज यात्री

1774. **डा. अख्तर अहमद खान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष भारत से कितने व्यक्ति हज यात्रा करने जाते हैं ; इनमें से कितने भारत सरकार व हज कमेटी द्वारा निकाली जाने वाली लाटरी से भेजे जाते हैं तथा कितने प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से भेजे जाते है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइवेट एजेंसियां प्रत्येक वर्ष हजारों आदमियों को देश से हज यात्रा के लिए भेजती हैं तथा इनसे करोड़ों रुपया कमाती हैं ; यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी एजेंसिय है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हज यात्रा अथवा सउदी अरब मक्का, मदीना जाने के लिए गत तीन माह अप्रैल, मई और जून में कितने वीजा जारी किये गये तथा इनमें से कितनों को हज पर जाने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी थी तथा जितने वीजा प्राइवेट एजेंसियों के मार्फत प्राप्त किए गए ; क्या सरकार इस प्रकार की एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, जो हज पर भेजने के नाम पर जाने वाले व्यक्तियों से काफी पैसा ऐंठते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) भारत से लगभग 40,000 हज यात्री प्रति वर्ष हज के लिए जाते हैं जिनमें से लगभग 25,000 हज यात्री केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से जाते हैं और शेष निजी एजेंसियों के माध्यम से अथवा अपनी निजी व्यवस्था करके जाते हैं ।

(ख) जी हां, सरकार को यह जानकारी है कि ऐसी कई निजी एजेंसियां हैं जो प्रतिवर्ष बहुत से हज यात्रियों को भेजती हैं । लेकिन ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हज यात्रियों को

भेजने के लिए इन एजेंसियों को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी ।

(ग) केन्द्रीय हज समिति ने 24,227 हज यात्रियों के लिए वीजा लिया था और शेष यात्रियों ने अपने वीजा निजी एजेंसियों के माध्यम से अथवा स्वयं लिये थे ।

सरकार को अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि ये एजेंसियां यात्रियों को हज पर भेजने के लिए उनसे मोटी रकम लेती हैं ।

Widening of Kakinada-Yanam road

1775. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Government of Andhra Pradesh have requested the Central Government to provide funds as a special case under C.R.F. for improvement and widening of Kakinada-Yanam road; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereon?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNIKRISHNAN): (a) Yes, Sir.

(b) As the actual augmentation of Central Road Fund against which the proposals were invited has not yet taken place, the same have not been processed for approval.

FICCI guidelines for private sector participation in highway construction

1776. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry has urged the Central Government to frame detailed guidelines for private sector's participation in highway construction;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) the reaction of the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): (a) and (b) The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry had forwarded a paper on "Highways Development by Private Sector" which includes steps such as land acquisition, according Industry Status to road construction, debt-equity ratio to be 1:2, exemption from MRTP, suitable legislation permitting collection of toll, etc. to be taken for encouraging private sector participation in highways.

(c) The participation of Private Sector in the construction of highways is under consideration.

Inland waterways in Tamil Nadu and Andhra Pradesh

1777 DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the details of the plans now under consideration of Government for development of inland waterways and captive ports in Andhra Pradesh and Tamil Nadu;

(b) what are the envisaged benefits from the improvement of North Buckingham canal by the Tamil Nadu Government as a centrally sponsored scheme to be completed by March, 1990;

(c) what steps are being taken to declare the Krishna river as a national waterway; and

(d) the names of rivers that have so far been declared as national waterways?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K.P. UNNIKRISHNAN): (a) The schemes and the provisions included in the Annual